International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण स्व शासन व महिला प्रतिनिधित्व : 2015 व 2021 निवर्चनों का तुलनात्मक अध्ययन ग्राम प्रधान पद के विशेष संदर्भ में

धीरज कुमार[1], डॉ. सविता शाही[2]

[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
[2]प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, डी. ए. वी. डिग्री कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

Abstract
ग्रामीण स्व शासन भारतीय लोकतंत्र की प्राण वायु है। जिसका संबंध भारतीय नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता एवं निर्णय निर्माण में प्रत्यक्ष भूमिका से है। पंचायती राज व्यवस्था के रूप में 73 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संसद ने इसे 1992 में संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान कर ग्रामीण स्व शासन के सशक्त कार्यान्वयन हेतु उचित व्यवस्था की। और इसके तहत अनु. 243 डी के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आवश्यक आरक्षण की व्यवस्था भी की। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 2015 व 2021 में सम्पन्न उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन में ग्राम पंचायत प्रधान पद पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण करना है। तथा 2015 व 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान के रूप में महिला प्रतिनिधित्व में आए परिवर्तन और उसके मुख्य कारणों का मूल्यांकन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र यह तर्क प्रस्तुत करता है कि 2015 के निर्वाचन की तुलना में 2021 के निर्वाचन में ग्राम प्रधान पद पर महिला प्रतिनिधित्व संख्यात्मक रूप से तो बढ़ा है परंतु यह केवल 33 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण का परिणाम है। जबकि महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी तथा राजनीतिक आत्मनिर्भरता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। अधिकांश मामलों में आज भी वास्तविक शक्ति का प्रयोग और शासन संचालन का कार्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पतियों या परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य द्वारा किया जा रहा है।

मूल शब्द: ग्रामीण स्व शासन, पंचायती राज व्यवस्था, 73 वां संविधान संशोधन, महिला प्रतिनिधित्व, 2015 व 2021 ग्राम प्रधान निर्वाचन, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक सहभागिता

भारत के उत्तरी क्षेत्र में 2,40, 928 वर्ग किमी. में विस्तृत देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपनी अनोखी राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना सर्व प्रथम 1937 को संयुक्त प्रान्त के रूप में हुई थी परंतु 24 जनवरी, 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। यह 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली से सीमाएं साझा करता है। और नेपाल से खुली एवं लगभग 579 किमी. लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी और प्रयागराज (इलाहाबाद) इसकी न्यायिक राजधानी है।

उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का केंद्र बिन्दु माना जाता है। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में एक निर्णायक भूमिका रखने वाला प्रदेश रहा है। यह प्रदेश राष्ट्रवाद का केंद्र भी रहा है और और देश की राजनीतिक प्रयोगशाला का स्थल भी यही रहा है (सुमन, 2002). 18 मंडल, 75 जिला, 827 क्षेत्र पंचायत और 58,189 ग्राम पंचायतों के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे वृहद ग्रामीण स्व शासन का संचालन करने वाला इकलौता प्रदेश भी है। (पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश) राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अपनी स्वयं अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश से देश में सर्वाधिक 80 लोकसभा, 31 राज्यसभा सदस्य और 403 विधानसभा सदस्य व 100 विधान परिषद सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होते हैं। देश को सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सदस्य उत्तर प्रदेश ही देता है। (सिंह, 2005). उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। अपनी अद्भुत सांस्कृतिक धरोहरों के कारण पर्यटन भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य अंग है।

प्रस्तुत शोध पत्र में 2015 व 2021 में सम्पन्न उत्तर प्रदेश पंचायती राज सामान्य निर्वाचन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति एवं पुस्तकालय अनुसंधान प्राविधि से किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण हेतु निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व पर आधारित पुस्तकों, शोध पत्र/पत्रिकाओं, दैनिक समाचार पत्रों, समय-समय पर प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों का विशेष तौर पर अध्ययन किया गया है।

राष्ट्रीय और राज्य राजनीति में बिना किसी पूर्व पद, प्रतिष्ठा या पहचान के प्रतिभागिता सुनिश्चित करना सामान्य ग्रामीण महिलाओं के लिए अत्यंत कठिन कार्य था। और भारत की अधिकतर आबादी ग्रामीनांचाल में निवास करती है इसलिए गांवों में लोकतंत्र और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और नीति निर्माण में सभी का समान प्रतिभाग सुनिश्चित करने लिए तत्कालीन नेताओं और प्रबुद्ध लोगों ने ग्रामीण स्व शासन की स्थापना की बात की। उनमें से महात्मा गांधी ने ग्रामीण स्व शासन और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को पूर्ण प्राथमिकता प्रदान की। गांधी जी हमेशा कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है अर्थात भारत गाँव का देश है। उनका मानना था कि शासन के विकेंद्रीयकरण से ही भारत मे वास्तविक न्याय और समानता की स्थापना की जा सकता है। क्योंकि विकेंद्रित शासन व्यवस्था में ही स्वस्थ्य लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। और एक स्वस्थ्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में ही सभी वयस्क नागरिकों की नीति निर्माण और शासन संचालन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। गांधी जी के इन्हीं विचारों को अमली ज़ाम पहनाने के लिए भारतीय संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की वृहद व्याख्या करते हुए संविधान सभा ने अनुच्छेद 40 का सृजन किया (अनु. 40). अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों से यह आशा की गई है कि वे ग्रामीण स्व शासन के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करेंगे और और उन्हें शक्तियां प्रदान करके स्वायत्त शासन की सर्वोत्कृष्ट इकाई के रूप में स्थापित करेंगे। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठायेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो (अनु. 40). हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं हैं और न ही इनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी कारण संविधान लागू होने के 45 वर्षों बाद भी देश में पंचायती राज व्यवस्था का कोई भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और एकीकृत स्वरूप विकसित नहीं किया जा सका गया। 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का श्री गणेश किया। इसके बाद 1959 में पंचायती राज की नींव प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान में रखी जिसका प्रमुख उद्देश्य शासन में नागरिकों का अधिक से अधिक प्रतिभाग सुनिश्चित करना था। इसी

योजना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का सृजन किया। और जन सहभागिता को और अधिक बढ़ाने के लिए सरकारें निरंतर प्रयासरत रही।

हम सब जानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण होने के कारण शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत तीन सूचीयों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अन्तर्गत किया है जिसमें पंचायती राज विषय को राज्य सूची में रखा गया है। परंतु संविधान में बाध्यकारी एवं विधिपूर्ण प्रावधान न होने के कारण स्व शासन व पंचायती राज के संचालन की सभी योजनाएं व युक्तियाँ विफल हो रही थी। राज्यों के द्वारा समय पर न तो चुनाव करवाए जा रहे थे और न ही पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जा रहा था। इसके लिए तत्कालीन केंद्र सरकारों ने अनेक समितियों का गठन किया। जिनमें से कुछ प्रमुख समितियों का विवरण निम्न है-

तालिका:1 पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियों

क्र.	समिति	वर्ष	अध्यक्ष
	बलवंत राय मेहता समिति	1957	बलवंत राय मेहता
	अशोक मेहता समिति	1977	अशोक मेहता
	जी. वी. के. राव समिति	1985	जी. वी. के. राव
	एल. एम. सिंघवी समिति	1986	एल. एम. सिंघवी
	पी. के. थुनगुन समिति	1988	पी. के. थुनगुन
	गड़गिल समिति	1988	वी. एन. गड़गिल

स्त्रोत: क्रोनिकले मैगज़ीन

पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना हेतु त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की सिफारिश की। 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने त्रि-स्तरी पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली की बात कही। इसके बाद 1985 में नियुक्त जी. वी. के. राव समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण जिला स्तर पर किया जाए। और पंचायती राज संस्थानों में नियमित चुनाव करवाए जाएं। 1986 में तत्कालीन प्रधानमात्री राजीव गांधी ने एल. एम. सिंघवी समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य "लोकतान्त्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली ग्राम पंचायतों के शहरी नवीनी करण" पर एक शोध प्रस्ताव तैयार करना था। एल. एम. सिंघवी समिति ने ही सर्व प्रथम पंचायती राज संस्थानों के लिए संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक संरक्षण की संतुति प्रदान की थी। और कहा की पंचायती राज संस्थानों में नियमित और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जाए। फिर 1988 में पी. के. थुनगुन समिति का गठन पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान करने हेतु सिफारिशों के लिए किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान करने के साथ-साथ जिला परिषद को विकास व योजना का आधार एवं केंद्र बनाने की सिफारिश की। इसके पश्चात 1988 में ही नियुक्त गड़गिल समिति को यह दायित्व सौंपा गया की "पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम तरीके से कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है।" समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था एक त्रि स्तरीय सरंचना है जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत होती हैं। इन पंचायती राज संस्थाओं को 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल प्रदान किया जाना चाहिए। तथा तीनों स्तरों पर प्रतिनिधियों और सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त समितियों की सिफारिशों/सुझाओं/रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम लेते हुए 73 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 संसद द्वारा पारित करवा के पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्ज़ा प्रदान किया। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 11वीं जोड़ी गई जिसमें 16 नवीन अनुच्छेदों (अनु. 243-2430) को शामिल किया गया और इसके तहत अनु. 243 डी के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आवश्यक आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एकतिहाई - सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया, जो महिला राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था (डुफ्लो एवं चट्टोपाध्याय, 2016). इसके साथ ही साथ संविधान द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए भी पंचायती राज संस्थाओं में उचित एवं आवश्यक आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया। (पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश). उत्तर प्रदेश ने त्रि स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की है। (अनु. 243 बी) जिसमें प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत, द्वितीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा तृतीय और अंतिम स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था है। (अनु. 243 सी). ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य (वर्ड मेम्बर) और क्षेत्र पंचायत हेतु क्षेत्र पंचायत सदस्य (बी.डी.सी) तथा जिला स्तर हेतु जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। जबकि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लॉक प्रमुख) का चुनाव अप्रत्यक्ष अर्थात जनता द्वारा न होकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों (बी.डी.सी) द्वारा किया जाता है वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। (अनु. 243 के). पंचायती राज संस्थाओं का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। (अनु. 243 ई) 5 वर्षों से पूर्व पंचायती राज संस्थाओं में यदि कोई भी पद त्याग पत्र अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर उस पद हेतु पुनः चुनाव करवाया जाएगा जिसे उप चुनाव कहा जाता है। उप चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित माना जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार निर्वाचित अध्यक्षों को कदाचार के कारण अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युति भी किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं का समयबद्ध निर्वाचन सम्पन्न करवाने हेतु अनु. 243 के, में एक राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और वित्तीय समीक्षा हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन अनु. 243 आई, के अन्तर्गत किया जाता है।

तालिका: 2 भारतीय संविधान में वर्णित पंचायती राज से संबंधित प्रावधान

प्रमुख अनुच्छेद	प्रावधान
अनु. 243 ए	ग्राम सभा
अनु. 243 बी	पंचायत का संविधान
अनु. 243 सी	संरचना
अनु. 243 डी	आरक्षण
अनु. 243 ई	कार्यकाल/अवधि
अनु. 243 एफ	सदस्यों की अयोग्यता
अनु. 243 जी	शक्ति, अधिकार और दायित्व

अनु. 243 एच	कोष और कर लगाने की शक्ति
अनु. 243 आई	वित्त आयोग
अनु. 243 जे	पंचायत का लेख परीक्षण
अनु. 243 के	निर्वाचन
अनु. 243 एल	संघ शासित क्षेत्रों के प्रावधान
अनु. 243 एम	ऐसे प्रावधान जो कुछ विशेष क्षेत्रों में लागू नहीं

स्रोत: भारतीय संविधान (243-2430)

उत्तर प्रदेश की राज्य राजनीति महिलाओं के लिए लैंगिक आधार पर कभी भी समान नहीं रही, परन्तु महिलाओं को कुछ अवसर जरूर उपलब्ध किये हैं। और जो भी महिलाएं किसी भी सदन की निर्वाचित सदस्य रही हैं सभी को एक सशक्त राजनीतिक पहचान अवश्य प्रदान की है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही उत्तर प्रदेश की महिलाओं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई, उदा देवी, दुर्गावती देवी (दुर्गा भाभी), बेगम एजाज रसूल, सुचेता कृपलानी आदि के रूप में भारत की आजादी में अपनी भूमिका का बखूबी निर्वहन किया।

भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी (02-10-1963 से 13-03-1967 तक) उत्तर प्रदेश में ही बनी (विधान परिषद, उत्तर प्रदेश). इसके साथ ही श्रीमती कृपलानी प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ लोकसभा की भी सदस्य निर्वाचित हुईं। देश को पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के रूप में उत्तर प्रदेश ने ही दिया। सुश्री मायावती कुल 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। जिसमें से तीन बार 1995, 1997 व 2002 अल्पकालिक मुख्यमंत्री निर्वाचित हुई। उसके बाद 13-05-2007 से 15-03-2012 तक उत्तर प्रदेश की पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के रूम में सेवाएं दी (विधान परिषद, उत्तर प्रदेश). राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय निर्माण में संसद सदस्य के रूप में भी मायावती ने बखूबी अपने दायित्वों को पूर्ण किया। वह 9 वीं, 12 वीं, 13 वीं और 14 वीं लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई और 1994, 2004 और 2012 में वो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। देश की प्रथम और एक मात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी (1966-1977) भी उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से ही संबंधित थीं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, रीता बहुगुणा जोशी, उमा भारती, फूलन देवी, डिंपल यादव, स्मृति ईरानी, जया बच्चन और हेमा मालिनी आदि महिला नेताओं ने उत्तर प्रदेश से ही संसद सदस्य निर्वाचित होकर देश की महापंचायत में आधी आबादी की आवाज बुलंद की। वर्तमान में श्रीमाती आनंदी बेन पटेल, उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

पंचायती राज संस्थाएं और ग्रामीण स्व शासन महिलाओं की शासन संचालन, नीति निर्माण और राजनीतिक सहभागिता की प्रथम पाठशाला हैं। ग्राम पंचायत छोटी इकाई होने के कारण महिलाओं को अपने दैनिक कार्यों के साथ अपने पद के दायित्वों को पूर्ण करने और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को समझने का बेहतर अवसर प्रदान करती हैं। संपतिया उइके ने मध्य प्रदेश के टिकरवाड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और अब वह भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। रीति पाठक, जो मध्य प्रदेश से 16वीं और 17वीं लोकसभा की सदस्य रही हैं, का राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा (राजपूत, प., एवं ठक्कर, 2023). निसंदेह, समान अवसरों की प्राप्ति के बाद महिलाएं किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहती हैं। नारी विमर्श एवं स्त्री समानता के पक्षधर चिंतकों, केट मिलेट, मेरी वोल्स्टनक्राफ्ट आदि के अध्ययनों से

लेकर आधुनिक विधानमंडलों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका पर हुए शोध कार्यों से स्पष्ट है कि प्रादेशिक राजनीति में सक्रिय महिलाओं ने अपनी राजनीतिक कुशलता, कार्य क्षमता एवं प्रशानिक विवेक से सिद्ध कर दिया है कि वे राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों से किसी भी दृष्टि में काम नहीं हैं (चतुर्वेदी, 2010).

2011 में सम्पन्न जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 199812341 नागरिक निवास करते हैं। जो की भारत की कुल जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत है (2011 जनगणना). इसमें कुल 104480510 संख्या पुरुष तथा कुल 95331831 संख्या महिलाओं की है। वहीं कुल 155317278 जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जिसमें 80992995 पुरुष तथा 73324283 महिला हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। (2011 जनगणना).

2015, में सम्पन्न पंचायती राज निर्वाचन में कुल 11.36 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। जिसमें 53.33 प्रतिशत पुरुष तथा 46.67 महिला मतदाता पंजीकृत थी (दैनिक भास्कर, 2015) वहीं 2021, पंचायती राज निर्वाचन में यह संख्या 12.39 करोड़ हो गई। जिनमे से 53.1 प्रतिशत पुरुष तथा 46.99 प्रतिशत महिला मतदाता थी। और 2026, में होने वाले पंचायती राज निर्वाचन में कुल 12.58 करोड़ मतदाताओं का नाम दर्ज है। जिनमें 5.86 करोड़ महिलायें एवं 6.71 करोड़ पुरुष मतदाता थे। गाँव की संसद के लिए पंजीकृत मतदाताओं में प्रति 1000 पुरुषों पर 873 महिला मतदाताओं अपना नाम दर्ज करवाया है (दैनिक जागरण, 2026). 2015 व 2021 में सम्पन्न सामान्य पंचायती राज निर्वाचन में ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण निम्न तालिका में अंकित है-

तालिका: 3 उत्तर प्रदेश पंचायत निर्वाचन 2015 व 2021 लैंगिक आँकड़ें

विवरण	2015 ग्राम प्रधान निर्वाचन	2021 ग्राम प्रधान निर्वाचन[2]
कुल ग्राम पंचायत	59062	58174
कुल निर्वाचित महिलाएं	25809	26252
निर्वाचित महिलाओं का %	43.85	46.34
कुल निर्वाचित पुरुष	33051	31215
कुल निर्वाचित पुरुषों का %	56.15	53.66
निर्विरोध विजेता	201	178
रिक्त पद	48	-

स्त्रोत: उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग

तालिका 2, के अनुसार ग्राम प्रधान निर्वाचन हेतु 2015 में कुल 59062 पदों पर मतदान हुआ। जिसमें से कुल 25809 महिला प्रतिनिधियों विजेता घोषित हुईं। वही 33051 पुरुष प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। जबकि 201 पदों पर निर्विरोध विजेता घोषित किए गए। इसमें 43.85 प्रतिशत महिला और 56.15 प्रतिशत पुरुष प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। वहीं 2021, ग्राम प्रधान निर्वाचन हेतु कुल 58174 पदों पर मतदान हुआ। परिणाम स्वरूप कुल 26252 अर्थात् 46.34 प्रतिशत महिलाएं ग्राम प्रधान बनीं। और कुल 31215 पुरुष अर्थात 53.66 प्रतिशत पुरुष ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए। 2021 में 178 पदों पर निर्विरोध विजेता घोषित हुए।

आंकड़ों के विश्लेषण से हमें निम्न अंतर प्राप्त होते हैं कि ग्राम ग्राम प्रधान पद पर हुए 2015 निर्वाचन की तुलना में 2021 के निर्वाचन में करीब 3 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है। अर्थात् 2015 निर्वाचन में 43.85 प्रतिशत

महिलाओं की तुलना में 2021 निर्वाचन में 46.34 प्रतिशत महिलाएं निर्वाचित हुईं। 2021 के चुनाव में महिलाओं ने स्वयं के लिए स्थापित 33 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को और मजबूती से लांघा।

परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि 2015 पंचायत चुनाव की तुलना में महिलाएं 2021 पंचायत चुनाव में अधिक संख्या में सफल हुईं हैं परंतु यह सिर्फ संख्यात्मक और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ही है। क्योंकि एक शोध के अनुसार स्त्रियों के राजनीतिक दृष्टि कोण उनके पतियों द्वारा निरूपित होते हैं। अर्थात वे स्वयं न तो कोई निर्णय ले सकती हैं और न ही स्वयं से अपने मत का प्रकटीकरण कर सकती हैं। यह भी रोचक बात है कि आज महिलाएं मतदाता के रूप में भी प्रत्येक चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसी लिए अब हर चुनाव में महिला मतदाता प्रत्याशियों का केन्द्रीय लक्ष्य होती हैं। प्रत्येक चुनाव की भांति ही पंचायत चुनाव से पूर्व भी राज्य चुनाव आयोग अधिसूचना के साथ आदर्श आचार संहिता लागू कर देता है और यह स्पष्ट कर देता है कि मत के बदले मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना विधि विरुद्ध है फिर भी प्रत्याशी अपनी ओर से साम, दाम, दंड व भेद की नीति अपनाते हैं और पंचायत निर्वाचन के समय प्रत्येक प्रत्याशी महिलाओं के प्रति विशिष्ट मान-सम्मान, आदर और सत्कार प्रकट करते हैं साथ ही साथ अनेक प्रत्याशी महिला मतदाओं को साड़ी, कपड़ा और अन्य उपहार भी देते हैं। अनेक बार यह तक देखा गया है कि जिस भी प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह चूड़ी प्राप्त होता है वे बेधड़क होकर महिला मतदाताओं का वोट लेने के लिए चूड़ियाँ बांटना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाएं चूड़ियाँ लेने से मना कर देती हैं क्योंकि चूड़ियाँ महिलाओं के सुहाग और शृंगार से संबंधित हैं। जैसे की हम सब जानते हैं कि अधिकतर ग्रामीण महिलाएं निम्न मध्यम वर्गी परिवार का हिस्सा होती हैं और उनमें शिक्षा का प्रसार व राजनीतिक जागरूकता तुलनात्मक रूप से काम होती है। और ज्यादातर ग्रामीण पुरुष मतदाता रोजी-रोटी के लिए गाँव से बाहर रहते हैं अर्थात मतदान करने नहीं पहुँच पाते हैं इसी लिए महिलायें पंचायत चुनाव के साथ ही अब प्रत्येक चुनाव में सभी प्रत्याशियों का प्रथम और आसान लक्ष्य होती हैं अर्थात महिलायें अब वोट बैंक के रूप में भी पहचानी जाने लगी हैं। परंतु निर्वाचित हो जाने के बाद ज्यादातर प्रतिनिधि महिलाओं की उपेक्षा ही करते हैं।

ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद अधिकतर महिलायें वापस अपने घरेलू जीवन में लौट जाती हैं और अपनी समस्त शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व अपने पति, पिता अथवा परिवार के ही किसी अन्य पुरुष को सौंप देती हैं। क्योंकि उनका मानना है कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगने वाला पूरा श्रम उनके परिवार के पुरुष करते हैं अर्थात प्रपत्रों को तैयार करने से लेकर निर्वाचित होने तक का सारा प्रबंध पुरुष ही करते हैं इस लिए पद और कर्तव्यों के निर्वहन के असली हकदार वही हैं। असल में ज्यादातर वही महिलायें ग्राम प्रधान के रूप में निर्वाचित होती हैं जो पारिवारिक रूप से सशक्त होती हैं और या तो उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के प्रत्याशी बनने के सामने कोई कानूनी बाधा होती है या फिर संबंधित प्रधान पद की सीट 33 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण के तहत के महिला हेतु आरक्षित कर दी जाती है।

2015 पंचायत चुनाव की तुलना में 2021 में सम्पन्न पंचायत चुनवों में निसन्देह महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका प्रमुख कारण डिजिटल मीडिया के द्वारा राजनीतिक जागरूकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार है। इसके साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं द्वारा निरंतर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता भी एक महत्वपूर्ण कारण हैं। परंतु इस बात को नजरंदाज नहीं किया जा सकता कि पंचायतों में महिलाओं की सशक्त उपस्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार 73 वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित 33 प्रतिशत संवैधानिक आरक्षण ही है। क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि इस आरक्षण के पहले शायद ही कोई महिला ग्राम पंचायत की अध्यक्ष निर्वाचित होती हो परंतु 33 प्रतिशत आवश्यक आरक्षण के बाद से प्रतीकात्मक ही सही लेकिन महिलाएं भी ग्राम प्रधान बनने लगी और सामाजिक ताने बाने को नकारने लगी। इसमें उन पितृसत्तात्मक विचार रखने वालों ने भी महिलाओं का विरोध राजनीति में जाने के लिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि उनकी तथाकथित लैंगिक शान से ज्यादा महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक शक्ति है जो किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होनी चाहिए।

आज 21 वीं सदी में महिलाओं की व्यापक शक्ति और आपार क्षमता को देखते हुए भारतीय संसद ने 128 वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 पारित कर 106 वाँ संविधान संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 स्थापित किया। इसके तहत पंचायती राज की भांति ही अब लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे आधी आबादी की पूरी आवाज देश की महापंचयत तक सशक्त और सम्मान जनक रूप से पहुंचे (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023).

अनेक सकारात्मक पहलुओं के बावजूद भी ग्रामीण स्वशासन की प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण, प्रशासनिक क्षमता विकास, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन तथा कानूनी अधिकारों की समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, ऐसी सामाजिक एवं संस्थागत परिस्थितियाँ विकसित की जाए जिनसे महिलाएँ स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और पंचायत प्रशासन में अपनी सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका निभा सकें।

अंततः यह कहा जा सकता है कि वर्ष 2015 से 2021 के मध्य उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद पर महिला प्रतिनिधित्व ने सकारात्मक प्रगति की है और यह ग्रामीण लोकतंत्र के समावेशी स्वरूप को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिर भी, इस प्रगति को वास्तविक महिला सशक्तिकरण में परिवर्तित करने के लिए प्रतिनिधित्व के साथ-साथ नेतृत्व की गुणवत्ता, निर्णय लेने की स्वायत्तता तथा संस्थागत समर्थन को समान महत्व देना होगा। तभी पंचायती राज व्यवस्था संविधान की उस भावना को पूर्ण रूप से साकार कर सकेगी, जिसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की आधारशिला और महिलाओं को उसके समान भागीदार के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संदर्भ सूची

1. सुमन, संजय(2002). *उत्तर प्रदेश*. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा. पृ. 1958.
2. *सामान्य जानकारी*, पंचायती राज मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार https://panchayatiraj.up.nic.in/pblc_pg/About/AboutPrdUP
3. सिंह, अशोक कुमार (2005). *उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम नगर* वाणी प्रकाशन
4. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 40.
5. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 40.
6. क्रोनिकले मैगज़ीने (2022). *पंचायती राज की प्रमुख समितियाँ* https://www.chronicleindia.in/online-magazine-samsamiyiki/detail/bb4ada14eb2b1ed4a72ecadd841122eb
7. Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. Econometrica, 72(5), 1409-1443. https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2004.00539.x
8. *सामान्य जानकारी*, पंचायती राज मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार https://panchayatiraj.up.nic.in/pblc_pg/About/AboutPrdUP
9. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 243 बी.
10. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 243 सी.
11. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 243 के.
12. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 243 ई.
13. भारत का संविधान (1950). अनुच्छेद 243-243 ओ.
14. *उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल*, विधान परिषद उत्तर प्रदेश. https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/government/page/chief-minister

15. *उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल,* विधान परिषद उत्तर प्रदेश. https://www.vidhanparishadproceedings.up.gov.in/government/page/chief-minister
16. राजपूत, प., एवं ठक्कर, उ) .(.संपा) .2023). *Women in State Politics in India: Missing in the Corridors of Power*. Routledge.
17. चतुर्वेदी इनाक्षी व अग्रवाल (2010). *महिला नेतृत्व व राजनीतिक सहभागिता*. आविष्कार प्रकाशन.
18. दैनिक भास्कर. *यू पी में हुआ पंचायत चुनाव का ऐलान* (2015). https://www.bhaskar.com/news/up-luck-uttar-pradesh-panchayat-elections-2015-dates-announced-5119705-pho.html
19. दैनिक जागरण. उत्तर *प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची फाइनल*)11 जून ,2026 (https://www.jagran.com/uttar-pradesh/lucknow-city-up-panchayat-chunav-2026-final-voter-list-released-23-crore-fake-voters-out-from-list-check-all-75-districts-voter-list-40269768.html
20. *त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव का संख्यात्मक विवरण*. उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग. (2015 व 2021). https://sec.up.nic.in/site/PRINominationStats2021.aspx https://sec.up.nic.in/ElecLive/PriElectionWinnerChart.aspx
21. नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023). विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार. https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/249053.pdf